

25/9/25

पत्रावली पेश है। प्रथम इनके वकील  
उपरोक्त करने आवेदन पत्र शा. मितल हो।  
मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल  
वाद का निस्तारण होने से प्र. पत्र अलग  
से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं  
होने से मूल वाद के साथ प्र. पत्र स्थगन  
का सूची उत्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फेरल श्रुति होकर डाखिल उपर  
हो छक नम्बर से कम हो।



मांगसिला (ल)  
Dudh

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन